क्रम-संख्या–328

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 नवम्बर, 2007

कार्तिक 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2373/79–वि–1–07-1(क)56-2007

लखनऊ, 21 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 13 मई, 2007 से प्रभावी हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 में नई धारा 26-क का बढाया जाना

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"26-क–यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि एक बार वित्तीय सहायता के रूप में उसके आश्रित को स्वीकृत की जाएगी।

स्पष्टीकरण–सदस्य के सम्बन्ध में "आश्रित" का तात्पर्य ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित, अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता या माता से है।"

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन मासिक उपलब्धियाँ और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। भूत सदस्य भी उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। किन्तु किसी पूर्व सदस्य, जिनका उनकी सदस्यता की अवधि के दौरान निधन हो जाय, के आश्रित को किसी प्रकार की आसीन सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि वित्तीय उक्त अधिनियम को संशोधित करके किसी आसीन सदस्य, जिसका सदस्यता की अवधि के दौरान निधन हो जाय, के आश्रित को राज्य सरकार द्वारा पांच लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि एक बार वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2373/LXXIX–V–1—07–1(Ka)56-2007
Dated Lucknow, November 21, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 39 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 19, 2007.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 39 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 2007

(2) It shall be deemed to have come into force on May 13, 2007

Insertion of new section 26-A in U.P. Act no. 23 of 1980

2. After section 26 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, the following section shall be inserted, namely :—

"26-A If a sitting member, dies during the tenure of his or her office, a sum of Rs. 5 lacks shall be granted by the State Government to his/her dependent as lump sum one time financial assistance.

Financial assistance to dependant of deceased members

Explanation—"Dependant" in relation to a member means his or her spouse, son, daughter, father or mother in order of preference, residing with and wholly dependant on such member."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The members of either House of the State Legislature are entitled to get monthly emoluments and other facilities under the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980. Ex-members are also entitled to get pension and other benefits under the said Act. But there is no provision for giving any financial help to the dependant of a sitting member, who dies during the tenure of his/her office. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for granting by the State Government a lump-sum. One time financial assistance of five lack rupees to the dependant of a sitting member who dies during the tenure of his/her office.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Second Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 709 राजपत्र—(हि०)—(1731)—2007—597 प्रतियां—(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 366 सा० विधायी—(1732)—2007—850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।